

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-1/गो0प्र0) विभाग

क्रमांक प. 13(76) कार्मिक/क-1/गो.प्र./2011

जयपुर, दिनांक: 29 JUN 2021

-:परिपत्र:-

विषय:-समस्त राजकीय कर्मचारियों द्वारा अपना अचल सम्पत्ति विवरण को स्वयं के SSO-ID से लॉग इन कर राज-काज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑनलाईन स्वयं द्वारा भरने के संबंध में।

कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 14.04.2011 के द्वारा राज्य के समस्त राजपत्रित अधिकारियों का दिनांक 01.01.2011 व उसके पश्चातवर्ती वर्षों का अचल सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक किये जाने के बारे में तथा तदनुसार विजीलेंस क्लीयरेंस व पदोन्नति एवं वार्षिक वेतन वृद्धि में अचल सम्पत्ति विवरण को अनिवार्य किये जाने के बारे में दिशानिर्देश जारी किए गए थे।

इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा समस्त विभागों के समस्त कर्मचारियों की अचल सम्पत्ति का विवरण 01.01.2021 एवं इसके पश्चातवर्ती वर्षों की अचल सम्पत्ति का विवरण ऑनलाईन किये जाने का निर्णय लिया गया है।

सभी राजकीय कर्मचारियों द्वारा वर्ष 2020 के लिए (01 जनवरी 2021 की स्थिति में) अपनी अचल सम्पत्ति विवरण 01 जुलाई 2021 से 31 अगस्त 2021 तक आवश्यक रूप से भरे जाने का प्रावधान किया गया है जिसके तहत राज्य में कार्यरत समस्त कर्मचारियों की अचल सम्पत्ति विवरण ऑनलाईन किया जायेगा।

जिन कर्मचारियों द्वारा उक्त सूचना प्रस्तुत नहीं की जावेगी उनकी पदोन्नति पर विचार नहीं किया जायेगा एवं वार्षिक वेतन वृद्धि व विजीलेंस क्लीयरेंस नहीं दी जायेगी। यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित सभी बोर्ड, निगम, स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं राजकीय उपक्रमों पर भी लागू होंगे।

राजपत्रित अधिकारियों की भौति अचल सम्पत्ति का वर्तमान मूल्य का आधार डीएलसी दर के अनुसार किया जाना है।

अतः समस्त प्रशासनिक विभागों/विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अधीन कार्यरत समस्त राजकीय कर्मचारियों तथा निगम बोर्ड, स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं राजकीय उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों को अपनी अचल सम्पत्ति विवरण SSO-ID से राज-काज सॉफ्टवेयर पर ऑन-लाईन स्वयं कर्मचारियों द्वारा समय सीमा में भरे जाने हेतु निर्देशित करें।

(हेमन्त कुमार गेरा)
प्रमुख शासन सचिव


J.D. Adm.

29/6/2021

श. निमिषा


7508/36.6/2021

अचल संपत्ति विवरण (Immovable Property Return)




प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय ।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव ।
4. समस्त अति. मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव /शासन सचिव /उप शासन सचिव ।
5. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्री/राज्य मंत्री/संसदीय सचिव ।
6. समस्त संभागीय आयुक्त ।
7. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टरों सहित)
8. प्रशासनिक सुधार (कोर्डिफिकेशन) विभाग अनुभाग-7 कापियों सहित ।
9. सिस्टम एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, कार्मिक (कम्प्यूटर) विभाग ।
10. तकनीकी निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग


संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित है :-

11. सचिव, राजस्थान विधान सभा जयपुर ।
12. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
13. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ।
14. अतिरिक्त पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर ।
15. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर ।
16. पंजीयक राजस्थान सिविल सेवा अपील न्यायाधिकरण जयपुर ।
17. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर ।
18. समस्त राजस्व अपील अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, सहायक कलक्टर राजस्थान ।
19. रक्षित पत्रावली ।


संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार


आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ1()प्रशा./आकाशि/2021/ 5733

दिनांक : 02/07/2021

पृष्ठांकित प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
2. अतिरिक्त निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
3. संयुक्त निदेशक (एच.आर.डी.), कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
4. समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय/कन्या महाविद्यालय/विधि महाविद्यालय (राजस्थान)/राज. स्कूल ऑफ आर्ट, जयपुर/राज. संगीत संस्थान, जयपुर ।
5. समस्त सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान ।
6. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
7. रक्षित पत्रावली ।


(डॉ. के.एल. सिराधना)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर